

## प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रासंगिकता

डॉ० बलदेव राम\*

### शोध-सार

वर्तमान समय में भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विश्व में अपना स्थान बनाया है। जीवन में उपयोगी बहुत सी वस्तुओं के निर्माण से नागरिकों का जीवन सुविधापूर्ण और आरामदेह बन सका है। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के कारण कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है और लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। परन्तु, इन सभी प्रगति के बाद में लोगों के जीवन में कई मुश्किलें आज भी उपस्थित हैं। आज भी कई लोग बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की गहरी पैठ हो चुकी है। इन सभी समस्याओं का कारण भारत में देश की अपनी प्राचीन और समृद्ध राजनीतिक और आर्थिक सिद्धान्तों की अवहेलना करके पश्चिमी राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्तों का बिना सोचे-समझे अपनाना है। पश्चिमी सिद्धान्तों को अपनाने के कारण हमारा राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक जीवन धर्म से विमुख हो गया जो लोगों को अनैतिक और भ्रष्ट बना दिया है।

वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। हमने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज मोबाइल और टेलीफोन के माध्यम से विश्व के किसी भी भाग रहने वाले स्वजनों से हम सीधा सम्पर्क साध लेते हैं। वहीं कम्प्यूटर और इंटरनेट ने विश्व भर की सूचनाओं को हमारी उँगलियों पर ला दिया है। कम्प्यूटर के आविष्कार ने सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात व्यवस्था के नियमन, कार्यालयों में फाइलों की सूचनाओं के संग्रहन, अंतरिक्ष में उपग्रहों के प्रक्षेपण, युद्ध

में हथियारों के संचालन, परमाणु परीक्षणों सहित जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। आज कम्प्यूटर का ज्ञान होना उतना ही आवश्यक हो गया है जितना कि वर्णमाला का ज्ञान। कम्प्यूटर शिक्षा के अभाव में व्यक्ति आज स्वयं को पिछड़ा हुआ महसूस करता है।

इसी प्रकार, यातायात के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों का निर्माण कर लिया गया है जिसने हमारी यात्रा आरामदेह और अल्पसमय साध्य बना दिया है।

\*असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जे०जे० कॉलेज, झुमरी तिलैया।

आज थोड़े समय में ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। हम अपने संदेश को विश्व के किसी भी भाग में पलक झपकते ही भेज सकते हैं। अर्थात्, आज दुनिया सिमट कर छोटी हो गई है।

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण विकास किया है। कई बीमारियों का या तो पूरी तरह उन्मूलन कर लिया गया है या उनको नियंत्रण कर लिया गया है। कई ऐसे उपकरणों का निर्माण किया गया है जिनसे जटिल से जटिल बीमारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है तथा उनका इलाज किया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं में विकास के कारण आज देश के लोगों की औसत आयु में भी वृद्धि हुई है।

कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक कृषि उपकरणों का निर्माण, कृषि पद्धतियों का विकास, उच्च उत्पादन किस्म के बीजों का विकास, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि के विकास ने कृषि उत्पादन में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। आज खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है जिससे देश ने भूखमरी जैसी समस्या से निजात पा लिया है। आज खाद्यानों के मामले में भारत न केवल आत्मनिर्भर बना है बल्कि अनेक देशों को कई कृषि उत्पाद निर्यात भी करने लगा है।

दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अनेक उपकरणों जैसे टी0वी0, फ्रीज, वाशिंग मशीन आदि कई वस्तुओं के निर्माण ने हमारे जीवन को सुखमय और आरामदेह बना दिया है।

आर्थिक क्षेत्र में देश ने महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विश्व के प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं

में स्वयं को शामिल करवाने में सफलता प्राप्त की है। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है। देश में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। परिणामस्वरूप लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ है।

संक्षेप में, भारत ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। परन्तु, यह सिक्के का केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू अत्यन्त निराशाजनक तथा शर्मिंदगी भरा है। आज सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। चाहे नेता हो, अफसर हो या साधारण कर्मचारी, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज ईमानदार व्यक्ति या तो ढोंगी समझा जाता है या मुर्ख एवं अव्यवहारिक। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में जितना अधिक डूबा है, वह उतना ही बुद्धिमान, चालाक, व्यवहारिक और सफल माना जाता है।

आज कार्यालयों में फाइलें महीनों तथा सालों तक धूल फाँकती रहती है और इसके लिए कर्मचारियों की कमी का बहाना बनाया जाता है। परन्तु, उसी कार्य के लिए रिश्वत या शालीन भाषा में कहें तो सुविधा शुल्क या स्पीड मनी दे देने पर कार्य शीघ्रता से सम्पन्न हो जाते हैं और तब कर्मचारियों की कमी आड़े नहीं आती।

यह स्थिति सिर्फ सरकारी कार्यालयों की नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार ने किसी न किसी रूप में अपना पैर पसार रखा है। कई सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवा के बदले अपनी तथा अपने परिजनों की सेवा करते हैं। समाज का कल्याण करने के बदले अपना कल्याण करते हैं।

आज समाज का आम आदमी जिस पर भरोसा करता है, वही उसके साथ छल करता नजर आता है।

राजनीति के क्षेत्र में प्रायः सभी नेता भोली-भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तरह-तरह के प्रपंच करते हैं। वास्तव में इन नेताओं का उद्देश्य जनता का कल्याण करना नहीं बल्कि अपना कल्याण करना है। वोट बैंक के लिए नेता एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के विरुद्ध भड़काते हैं, दंगे करवाते हैं तथा बाद में मरहम लगाने के नाम पर भी भावनाओं को भड़काकर उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित करने का प्रयत्न करते हैं।

यही नहीं, हमारे मंत्रीगण जनता के खून पसीने की कमाई को भी लूटने से बाज नहीं आते। सरकारी खजाना से नित्य बड़े-बड़े घोटाले उजागर होते रहे हैं। स्थिति यह है कि गरीब जनता के लिए घोषित कल्याणकारी योजनाओं में मंत्री जी अपना कमीशन ढूँढते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, एनोस एक्का आदि रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। पूर्व यूपीए सरकार के काल में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला में केन्द्रीय मंत्री ए0 राजा, कनमोझी आदि अपना मंत्री पद खो चुके तथा हिरासत में भी रहे। इसके अतिरिक्त यूपीए सरकार के ही वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री रहे पी0 चिदम्बरम और उनके पुत्र पर भी अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं तथा देश की जाँच एजेन्सियाँ उनसे पूछताछ कर चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप प्रधानमंत्री पर भी लगते हैं। आज प्रत्येक

व्यक्ति मौके की तलाश में है कि कब मौका मिले और वह भी घोटाले के सरोवर में डुबकी लगा ले।

भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि बड़े-बड़े घोटाले करना, काला धन इकट्ठा करना, स्विस बैंकों में खाता रखना आम बात है। स्थिति यह है कि इस भ्रष्टाचार तथा काले धन के विरोध में बात करना भी नेताओं की नजर में अपराध बन गया है। काले धन की वापसी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाले जनलोकपाल बिल आज तक संसद से पारित नहीं हो सका। भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले लोगों को हर संभव तरीके से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता रहा है। एन0डी0टी0वी0 के अनुसार 02 नवम्बर 2011 को मानव विकास सूचकांक में 187 देशों में भारत का स्थान 134वाँ था। वहीं मानव विकास सूचकांक 2013 में 135 वां, 2015 में 131वां तथा 2017 में 130वां था। भ्रष्टाचार में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स के अनुसार 2011 में 182 देशों के बीच भारत का स्थान 87वाँ स्थान था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2012 में 176 देशों में भारत का स्थान 94वां, 2013 में 175 देशों में 94वां, 2014 में 174 देशों में 85वां, 2015 में 174 देशों में 76वां, 2016 में 176 देशों में 79वां तथा 2017 के रिपोर्ट में 176 देशों में 81 वां था।

ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि देश में ऐसी स्थिति क्यों है? कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज गरीब देशों की श्रेणी में क्यों है? कभी विश्व गुरु समझा जाने वाला भारत प्रौद्योगिकी सहित

कई बातों के लिए पश्चिमी देशों का मुँह क्यों देखता है? इन सब बातों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी हम मनोवैज्ञानिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सके हैं। हमें अपने देश की तकनीक, सभ्यता तथा संस्कृति पिछड़ी हुई लगती है। हम हीनभावना से उबर नहीं पाए हैं। आज भी पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करना आधुनिकता तथा शान समझी जाती है। आज युवाओं को पश्चिम के साहित्यों तथा सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है।

अब तक देश में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित रही है वह मैकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित है जिसका उद्देश्य लोगों को वास्तविक शिक्षा देकर उनका सर्वांगीण विकास करना और आत्मनिर्भर बनाना नहीं बल्कि ऐसी शिक्षा देना था जिससे भारत के लोग खून से भारतीय होकर भी सोच में अंग्रेजों जैसे हों तथा उनके लिए विश्वसनीय कर्मचारी बन कर कार्य करते रहें। वर्तमान में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रचार के कारण तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है जिससे देश के युवा अच्छे पैकेज की नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। आज की शिक्षा का उद्देश्य भी केवल रोजगार या नौकरी पाना भर रह गया है। उन्हें प्राचीन भारतीय गौरवशाली परम्पराओं की शिक्षा नहीं दी जाती है। आज की शिक्षा में नैतिकता और चरित्र निर्माण की बात नहीं की जाती। इन सब का दुष्परिणाम कई रूपों में दिखता है।

कानून और व्यवस्था के लिए भी 1861 की पुलिस एक्ट आज भी प्रचलित है जो कि औपनिवेशिक सत्ता का स्मरण कराता है।

हमने राजनीति के क्षेत्र में पश्चिमी दार्शनिकों और चिन्तकों को आधुनिक समझकर खूब पढ़ा है और उनके सिद्धान्तों को अपनाने का हर संभव प्रयास किया है। हमने अपने देश की राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का हल पश्चिमी सिद्धांतों में ढूँढने का प्रयास किया है। जबकि अपने देश की प्राचीन राजनीतिक चिन्तनों तथा विचारधाराओं की उपेक्षा की है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तन की अत्यन्त समृद्ध और गौरवशाली परम्परा रही है। हमारे प्राचीन चिन्तकों ने राजनीति से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो राजधर्म, दण्डनीति, नीतिशास्त्र आदि नामों से जाना जाता है। देश ने श्रीराम एवं श्रीकृष्ण जैसे नायकों को जन्म दिया है जिन्होंने जीवन के क्षेत्र में आदर्श स्थापित किया है। वहीं दूसरी ओर, वेदद्रष्टा ऋषियों बाल्मीकि तथा वेदव्यास, मनु, कौटिल्य, शुक्र याज्ञवल्क्य, वृहस्पति, कामन्दक जैसे राजनीति वेत्ताओं को भी उत्पन्न किया है। इन्होंने जिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे लोककल्याण के लिए थे। उनमें राजा प्रजा को अपनी सन्तान के समान समझता था तथा प्रजा भी अपने राजा को पूर्ण सम्मान देती थी। राजा के सारे कार्य नीतिसंगत तथा धर्मसंगत होते थे। राजनीति धर्म पर आधारित हुआ करती थी। शिक्षा में चरित्र निर्माण पर विशेष बल होता था।

जहाँ तक पश्चिमी राजनीतिक दर्शन तथा प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में अन्तर का प्रश्न है तो पश्चिमी दर्शन जीवन को कई खण्डों में बाँटकर देखता है। जैसे

—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि। हर भाग से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग सिद्धांतों का सहारा लिया जाता है। इस में राज्य को ही एक सम्पूर्ण इकाई माना गया है और राजनीतिक विचारों का अभिप्राय राज्य एवं राज्य से सम्बन्धित बातों की व्याख्या की है। उनका यह दृष्टिकोण सम्पूर्ण जीवन के केवल एक भाग (राजनीतिक) से ही संबंधित है।

भारतीय राजनीतिक चिन्तन का केन्द्र विन्दु एवं विचार स्रोत मनुष्य के जीवन का एक भाग न होकर सम्पूर्ण जीवन रहा है। भारतीय ऋषियों, मनीषियों एवं विचारकों ने राज्य एवं राजनीतिक व्यवस्था को अलग करके नहीं देखा है। उनकी दृष्टि में प्रकृति, समाज और आध्यात्मिकता संबंधी विचार जीवन की सम्पूर्णता को अभिव्यक्त करते हैं और राजनीतिक दर्शन भी इसी में समाहित है। भारतीय दर्शन की मूल आत्मा को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में हुआ और हिन्दु राजनीतिवेत्ता राजनीति और धर्म को पृथक नहीं मानते। राजा और शासक का प्रमुख कर्तव्य 'धर्म का पालन' समझा गया और शत्रु से भी धर्मयुद्ध करने का निर्देश दिया गया। प्राचीन भारत की राजनीति में नैतिकता का समावेश तथा धर्म का रक्षण प्रमुख दायित्व था। राजनीति और धर्म घनिष्टता से संबंधित थे। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय राजनीति की जानकारी देने

वाले प्रमुख ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, स्मृतियाँ, महाभारत, रामायण, गीता, पुराण आदि धार्मिक रूप से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल में धर्म के प्रति जनता की श्रद्धा को बनाए रखने तथा धर्मानुकूल जीवन व्यतीत करने पर विशेष बल होता था। राजा द्वारा विभिन्न लोककल्याणकारी कार्यों का सम्पादन किया जाता था। राजा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य धर्मगुरु एवं पुरोहित की आज्ञा और परामर्श के आधार पर करता था। इस प्रकार राजनीति में धर्म का प्रभाव होने के कारण राजा प्रायः भ्रष्ट नहीं होता था। वह सदैव नीति सम्मत तथा धर्म सम्मत कार्यों को ही करता था।

पश्चिमी राजनीतिक चिन्तन में धर्म और राजनीति को पृथक करके देखा गया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि पश्चिम के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग करने का उद्देश्य चर्च के राजनीति में अवांछित हस्तक्षेप को रोकना था और इस अर्थ में राज्य को सेकुलर बनाया गया था। परन्तु भारत में धर्म का अभिप्राय पश्चिम के धर्म से अलग है और धार्मिक संस्थाओं का राजनीति में पश्चिम के चर्चों की तरह का हस्तक्षेप कभी नहीं रहा। अतः भारत को पश्चिम की तरह का सेकुलर राज्य बनाने का कोई औचित्य नहीं था। फिर भी, भारत के आधुनिक राजनेताओं ने भारत को सेकुलर राज्य घोषित किया तथा धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग रखने का प्रयत्न किया। परिणामस्वरूप राजनीति धर्म विहीन हो गयी। राजनेताओं को धर्मविरुद्ध कार्यों को करने में भी कोई डर नहीं रहा और इस प्रकार, भ्रष्टाचार ने राजनीति में अपनी जड़ें जमा ली।

जहाँ तक प्रजातंत्र की बात है तो प्राचीन भारतीय राजनीति में भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। परन्तु, वह भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इसमें जनता की भागीदारी को आवश्यक माना जाता था। परन्तु, स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस पश्चिमी तथा आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया उसमें जनता की भागीदारी केवल वोट देने तक सीमित रह गयी है और यह वोट भी जनता अपने विवेक से नहीं कर पाती है। जनता का वोटपाने के लिए उम्मीदवारों द्वारा तरह-तरह के चुनावी वादे किए जाते हैं, कसमें खायी जाती है। साथ ही, धनबल एवं बाहुबल का भी जमकर प्रयोग किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद शायद ही अपने मतदाताओं की सुधि लेना आवश्यक समझते हैं। अतः ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो प्रजातंत्र की मूल भावना के साथ खिलवाड़ ही है।

प्राचीन काल में राजा का स्थान सर्वोच्च होता था। राजपद को दैवीय माना जाता था तथा राजा में दैवीय गुणों का समावेश समझा जाता था। प्राचीन भारतीय चिंतकों मनु, वृहस्पति, कौटिल्य, वेदव्यास आदि सभी ने राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना आवश्यक माना है। उनके अनुसार राजा को किसी ऐसे व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जो इसकी पात्रता नहीं रखते हों चाहे वे राजा के कितने ही निकट संबंधी हों। परन्तु, आधुनिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सांसदों तथा विधायकों के लिए योग्यता निर्धारित नहीं

है। वर्तमान में भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। फिर भी उनके लिए कोई योग्यता निर्धारित करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ऐसे-ऐसे लोग सांसद और विधायक चुने जाते हैं जो शैक्षणिक रूप से शून्य होते हैं। यही नहीं वे आपराधिक पृष्ठभूमिके भी होते हैं। आज एक शिक्षित सामान्य व्यक्ति सांसद या विधायक बनने की सोच भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास न धनबल होता है और न बाहुबल।

हम आज धर्म विहीन पश्चिमी जीवन शैली, उनके तौर तरीकों को आधुनिक समझ कर अपना रहे हैं। उसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज में लोगों का चारित्रिक पतन हुआ है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 'विवाह'को एक पवित्र तथा महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। विवाहेत्तर संबंधों को अच्छा नहीं माना जाता है। परन्तु, पश्चिमी सामाजिक तौर तरीकों से प्रभावित होकर आज भारत में भी लोग विवाहेत्तर संबंधों तथा विवाह पूर्व यौन संबंधों को स्वीकार करने लगे हैं। भारतीय महानगरों में कई युवक एवं युवतियाँ विवाह के बगैर ही 'लिव इन रिलेशन'में पति-पत्नी की तरह रहने लगे हैं। ऐसे में सोचना आवश्यक है कि जो सिद्धांत तथा सामाजिक व्यवस्था पश्चिम के देशों में प्रचलित है, वे हमारे देश में भी उतने ही सफल होंगे, यह आवश्यक नहीं। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो हमारे अनुकूल है तथा उत्कृष्ट और गौरवशाली है उन्हें छोड़कर पश्चिमी सिद्धांतों को आँखें मूँदकर अपनाने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ

आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण विवेकसंगत नहीं हो सकता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आज भारत में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा अविश्वास का माहौल कायम है, उसके लिए पश्चिमी राजनीतिक तथा सामाजिक सिद्धांतों और व्यवहारों को आँखमूँद कर अपनाया जाना है। अन्त में निष्कर्ष स्वरूप यह कहना उचित होगा कि भारत के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में पुनरूत्थान तथा आपसी विश्वास और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए हमें अपने मूल प्राचीन राजनीतिक सिद्धांतों तथा चिन्तनों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में फिर से अपनाना होगा। हमें उन प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों को अपनाना होगा जो राजा तथा राजनीति को धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजावत्सल बनाए, जो आम जनता में नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता, आज्ञाकारिता, सहिष्णुता जैसे सद्गुणों का विकास कर, जो धन के स्थान पर धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करे तथा देशवासियों में आपसी विश्वास बहाल करे। परन्तु इसका अर्थ यह

नहीं है कि हम अन्य देशों की सभ्यता, संस्कृति तथा सिद्धान्तों को बिल्कुल ही छोड़ दें। बल्कि पश्चिम की अच्छी बातें जो अपनाये योग्य हैं, उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा आवश्यकतानुरूप ढालकर अपनाया जाना चाहिए।

### संदर्भ सूची

- [1]. सेन ए०के०, स्टडीज इन हिन्दु पोलिटिकल थाउट, द हिन्दुस्तान प्रेस कलकत्ता 1926.
- [2]. शास्त्री रजनीकान्त, वैदिक साहित्य परिशीलन।
- [3]. अलतेकर अनन्त सदाशिव, प्राचीन भारतीय शासन, विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी, 2013.
- [4]. अवस्थी डॉ०ए०वी०, भारतीय राजनीतिक विचारक, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन आगरा, 2011.
- [5]. मानव विकास सूचकांक 2011, 2013, 2015, 2016, 2017.
- [6]. ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इन्डेक्स (इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित)